

फर्द अहकाम
(नियम 26)

अज अदालत सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी राजस्व नोहर

जिला हनुमानगढ

मुकेश कुमार

बनाम

दीवानसिंह

किस्म मुकदमा , 88 ,188, आर.टी.एक्ट.

नम्बर 515

सन-2022

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिषियल जज	नम्बर व तारीख
15.06.2022	वादी की और से वाद पत्र जरिये अधिवक्ता पेश किया गया जिस पर सिगेदार की रिपोर्ट हो चुकी है वाद पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया जाकर पत्रावली दिनांक 15.07.2022 को पेश हो।	
15/7/22	वादी की उपरिष्ठ प्रतिवादी उपरिष्ठ की प्रतिवादी की नाम की हुन रजिस्टर समुदाय पर वाद पत्रावली दिनांक 15/7/22 को पेश हो।	
6/9/22	पत्रावली पेश हुई श्रीमान पी.ओ. साहब ... पत्रावली दि० 16/12/22 को पेश हो।	
16/12/22	कौल वादी उपरिष्ठ प्रतिवादी की तलबी हेतु सम्मन रजि. सम्मन पेश करें। पत्रावली दिनांक 12/04/23 को पेश हो।	
12/4/23	पत्रावली वादी उपरिष्ठ प्रतिवादी की तलबी हेतु रजि. सम्मन पेश करें। पत्रावली वादी तलबी दिनांक 12/4/23 को पेश हो।	
24/4/23	पत्रावली प्रशासन गांवों के संज अभियान वर्ष 2023 कैम्प ... में पेश हो।	
3/7/23	पत्रावली प्रशासन गांवों के संज अभियान वर्ष 2023 कैम्प ... में पेश हो।	
27/7/23	पत्रावली पेश हुई श्रीमान पी.ओ. साहब ... पत्रावली दि० 26/9/23 को पेश हो।	
	पत्रावली पेश हुई श्रीमान पी.ओ. साहब ... पत्रावली दि० 24/11/24 को पेश हो।	



131/2/23

पत्रावली अर्धी द्वारा जारी वकील प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर पेसी में ली गई। अर्धी ने प्रार्थना पत्र में विवेदन किया कि उक्त अनुवानी वाद में राजीनामा ले चुका है। पत्रावली आज की तारीख पेसी में होकर खारिज करने की कृपा करें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली प्रतिवादीगण की तलबी पर विचाराधीन है जिसमें आगामी तारीख पेसी 24/01/2024 मुकर्रर है। न्याय हित में प्रार्थना पत्र अर्धी स्वीकार किया जाता है तथा अनुवानी वाद छकेश कुमार बनाम दीवानसिंह कांडि प्रसं 5151/2022 इसी स्टेज पर खारिज किया जाता है। पत्रावली नफरत से कम होकर बाद तकमील दाखिल दफतर हो।

उपरोक्त अधिकारी
नोहर